Projects Undertaken by DSIDC

557. SHRI AKHILESH DAS: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Works Division of the Delhi State Industrial Development Corporation (DSIDC) has been undertaking the project and deposit work of various Government Departments and public sector undertakings;

(b) if so, the total cost of each project and deposit work during the last 10 years;

(c) the total expenditure and net profit to DSIDC in undertaking such projects/ deposit work;

(d) the loss if any, suffered by DSIDC in the said projects/deposit works; and

(e) the reasons therefor?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) Yes, Sir. According to Delhi State Industrial Development Corporation, the Works Division of the Corporation has been undertaking projects and deposit works of various Government Departments and Public Sector Undertakings.

(b) and (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(d) and (e) According to the DSIDC, in the case of some of the works taken up by them, there is a shortfall in the funds received *vis-a-vis* expenditure incurred. This balance funds are expected to be received from the departments concerned after reconciliation of accounts and required budget provisions. This is being followed up by the Corporation on a regular basis. According to the Corporation, on the whole, they have not suffered any loss in undertaking the deposit works.

ग्राम और कुटीर उद्योगों की स्थापना

558. **श्री शमशेर सिंह सुरजेवालाः**
श्री अजीत जोगीः

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास ग्राम और कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु सरकार के पास कोई ठोस और समयबद्ध योजनायें हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसी व्यापक योजनाओं को बनाने का विचार रखती है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) देश में जीव्यक्षम खादी तथा ग्रामोद्योग एककों की स्थापना के माध्यम से तत्कालीन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने 1994 में 2 मिलियन अतिरिक्त पदों के सृजन की सिफारिश की थी। समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में 1.4.1995 से सरकार द्वारा अनुमोदित के०वी०आई०सी० द्वारा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है तथा वर्ष 1999-2000 तक 2 मिलियन अतिरिक्त पदों का प्राप्त किये जाने का लक्ष्य है।

उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुसार, खादी ग्रामोद्योग योजना को ग्रामीण उद्योग के लिए पुरानी ब्याज राजसहायता योजना के स्थान पर सीमांत धन योजना की शुरूआत करके संशोधित किया गया है। वर्ष 1995-96 से ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम हेतु सरकार द्वारा के०वी०आई०सी० को बढ़े हुए योजनागत परिव्यय पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराये जा रहे हैं। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु के०वी०आई०सी० ने एक व्यापक योजना तैयार की है। अन्य बातों के साथ-साथ इस योजना में खादी विस्तार कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण उद्योग विकास कार्यक्रम। जिला विशिष्ट रोजगार कार्यक्रम तथा 125 ब्लॉक रोजगार कार्यक्रम शामिल है। के०वी०आई० परियोजनाओं के लिए बैंकों से सीधे कर्ज देने के अलावा बैंकों के संघ द्वारा सरकारी गारंटी शुदा 1000 करोड़ रुपये का ऋण भी जीव्यक्षम खादी ग्रामोद्योग परियोजनाओं के लिए ऋण हेतु स्वीकृत किया गया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) तथा (ख) के उत्तरों को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।